



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई, 2019-ज्येष्ठ 3, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH

High court campus, Jabalpur-482001

SBC/MP/NOTIFICATION/ELEC./01/2019.

Date:24-05-2019

NOTIFICATION

Under Rule 4 of Part-III, Chapter-I Bar Council of India

It is hereby notified that for the purpose of preparing final electoral roll in accordance with rules 2 and 3 of chapter I, Part III of the rules framed by the Bar Council of India under Sections 3 (4), 10B, 15(2) (a), 49 (1) (a) and (ab) of the Advocates Act, 1961, for the next election of members to this Council, the particulars as to any of the disqualifications as referred to in clauses (a) to (i) of rule 2 shall be furnished by an advocate who has incurred them to the State Council within 90 Days from the publication of this notice under rule 4 (herein below to reproduce Rule 2 with Explanation).

2. The name of an advocate appearing in the state roll shall not be on the electoral roll, if on information received or obtained by the State Bar Council concerned on the basis of which it is satisfied that-
 - (a) His name has at any time been removed;
 - (b) He has been suspended from practice, provided that his disqualification shall operate only for a period of five years from the date of the expiry of the period of suspension;
 - (c) He is an undischarged insolvent;
 - (d) He has been found guilty of an election offence in regard to an election to the State Council by an election tribunal, provided however, that such disqualification shall not operate beyond the election next following after such finding has been-made;
 - (e) He is convicted by a competent court for an offence involving moral turpitude, provided that this disqualification shall cease to have effect after a period of two years has elapsed since his release;

- (f) He is in full-time service or is in such part-time business or other vocation not permitted in the case of practising advocates by the rules either of the State Council concerned or the Council;
- (g) He has intimated voluntary suspension of practice and has not given intimation of resumption of practice;
- (h) If he has not paid the subscription under Rule 40 Chapter-II, Part VI of the Rules and obtained receipt from the State Bar Council;
- (i) He has incurred any disqualification mentioned in the Act or the rules made there under.
- 2 (j) His name has been included in the list of non-practicing advocates published under Rule 20.4 of the Bar Council of India of India Certificate of practice and Renewal Rules, 2015.

Explanation.- If an advocate who has incurred any disqualification as referred to in rule 2 and does not furnish details about it as required in the notice under rule 4 of these rules within the time specified shall be deemed to have committed an act of other misconduct as referred to in Section 35(1) of the Act.

PRASHANT DUBEY,

Returning Officer/Secretary.

Date :

Any advocate who have incurred any of the disqualifications Mention in above rule 2 of Chapter I, Part III of the rules of the Bar Council of India, submit their declaration in following format:-

Number on the State Roll:

1. Name of the advocate as on the roll: (in block letters).....
2. (a) Address of the advocate (as on the State roll).....
(b) Present address:.....
3. (a) Have you incurred any of the disqualifications mentioned in rule 2 of Chapter I, Part III of the rules of the Bar Council of India?.....
4. Are you a member of any Bar Association? (If so, give the name).....
5. Where do you Intend to cast your vote?.....
(If you are not a voter entitled to vote by postal ballot)

I hereby declare and affirm that the foregoing statements are true to my knowledge and I have not concealed anything there to.

(178-B.)

.....
Signature in full.

AGOG POWER PROJECTS PVT. LTD.

IN THE MATTER OF PRANAV LAHOTI

(AGOG POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED)

V/S

REGISTRAR OF COMPANIES, GWALIOR (M.P.)

In the matter of company Appeal No. 65/252/NCLT/AHM/2017 Regading Restoration of name of the company U/s 252(3) of the companies Act, 2013.

Notice is hereby issued that the Hon'ble National Company law Tribunal, Ahmedabad Bench vide order dated 05/02/2018 passed in the company appeal No.65/252/NCLT / AHM/2017 directed for restoration of company namely AGOG POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED having registered Office at GROUND FLOOR, LAHOTI BUILDING, OLD BUS STAND, HOSPITAL ROAD, Vidisha M.P. (464001) India in the Register of Companies maintained by the Registrar of Companies, Gwalior, Madhya Pradesh.

As per the said order, of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench, the name of the company namely AGOG POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED has been restored in the Register of Companies maintained in the Office of Registrar of Companies, Gwalior, Madhya Pradesh.

FOR: AGOG POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED

PRANAV LAHOTI,

(DIRECTOR).

DIN:05313318

Place:Vidisha, (M.P.) Date 18-04-2019

(168--B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, राज्यश्री शाह (RAJYASHREE SHAH) पुत्री श्रीकृष्ण दास शाह (SHRIKRISHNA DAS SHAH) एवं पत्नी सुधीर कुमार सेठ (SUDHIR KUMAR SETH), मूल निवासी मध्यप्रदेश हूँ। मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम राजश्री सेठ (RAJSHREE SETH) पत्नी सुधीर कुमार सेठ (SUDHIR KUMAR SETH) दर्ज है। उसके स्थान पर राज्यश्री शाह (RAJYASHREE SHAH) पत्नी सुधीर कुमार सेठ (SUDHIR KUMAR SETH) पढ़ा एवं लिखा जाय।

पुराना नाम :

(राजश्री सेठ)

(RAJSHREE SETH)

पत्नी-सुधीर कुमार सेठ.

(SUDHIR KUMAR SETH)

(173-बी.)

नया नाम :

(राज्यश्री शाह)

(RAJYASHREE SHAH)

पत्नी-सुधीर कुमार सेठ

(SUDHIR KUMAR SETH)

आम सूचना

हम लोगों की पुत्री दिव्या द्विवेदी को मेरी बहिन ने दिनांक 09-06-2014 को गोद लिया था। गोदनामा का निष्पादन उप-पंजीयक, कार्यालय पन्ना से दिनांक 09-06-2014 को हुआ था। गोदनामा निष्पादन होने के उपरान्त हम लोगों की पुत्री दिव्या द्विवेदी अपने नाम के आगे दिव्या सिंह राठौड़ तथा पिता के नाम के आगे महेन्द्र पाल सिंह एवं माता के स्थान पर श्रीमती सरस्वती सिंह राठौड़, निवासी मोहन कॉलोनी प्रथम गली वासवाडा (राजस्थान) लेख करने लगी थी गोदनामा निष्पादन के उपरान्त मेरी पुत्री दत्तक ग्रहिता माता-पिता के पास रहने लगी थी। किन्तु कुछ दिनों बाद उसे असुविधा महसूस हुई तथा वह अपने प्रकृतिक माता-पिता के पास रहने लगी प्रकृतिक माता-पिता ने गोदनामा निरस्त कराने बावत् न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पन्ना, जिला पन्ना समक्ष श्रीमान रवि कुमार वौरासी के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 80056ए/2016 प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त व्यवहार वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री में प्रकृतिक माता-पिता को यह निर्देश दिया कि वे गोदनाम निरस्ती करण उप-पंजीयक, कार्यालय पन्ना से पंजीयन, कराने के उपरान्त डिक्री प्रभावशील रहेगी। उक्त निर्णय एवं डिक्री के पालन में प्रकृतिक माता-पिता द्वारा उप-पंजीयक, कार्यालय से दिनांक 09-06-2017 को गोदनामा निरस्त करा लिया है। इस कारण हम लोगों की पुत्री समस्त अभिलेख में अपने नाम के आगे दिव्या सिंह राठौड़ के स्थान पर दिव्या द्विवेदी एवं पिता महेन्द्र पाल के स्थान पर शरदेन्दु भूषण द्विवेदी एवं माता श्रीमती सरस्वती सिंह राठौड़ के स्थान पर श्रीमती पद्मावती द्विवेदी लेख कर रही है, तथा अब मेरी पुत्री का नाम दिव्या द्विवेदी पिता श्री शरदेन्दु भूषण द्विवेदी एवं माता श्रीमती पद्मावती द्विवेदी पढ़ा जावे।

(165-बी.)

प्रकृतिक माता-पिता

पिता-शरदेन्दु भूषण द्विवेदी,

माता-श्रीमती पद्मावती द्विवेदी,

निवासी-कुमकुम टॉकीज के पास

बगिया पैलेस पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अवंतिका इंगले पुत्री श्री संतोष इंगले था, विवाह उपरान्त श्रीमती अवंतिका निम्बालकर पत्नी श्री आनंद राव निम्बालकर हो गया है। अतः मुझे अवंतिका निम्बालकर के नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(कु. अवंतिका इंगले)

(164-बी.)

नया नाम :

(अवंतिका निम्बालकर)

नाम परिवर्तन

मैं, गौरव योगी की भारतीय जीवन बीमा निगम (बारादरी चौराहा, मुरार) की पॉलिसी नं. 201108482 में मेरा नाम सौरभ पुत्र श्री सुरेश चन्द्र लिखा गया है। जबकि मेरी सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक खाते में गौरव योगी लिखा है। यह दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे। शपथकर्ता की पॉलिसी पूर्ण हो गई है। अतः भुगतान गौरव योगी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र के नाम से किया जावे।

पुराना नाम :
(सौरभ)
पुत्र-श्री सुरेश चन्द्र,
(169-बी.)

नया नाम :
(गौरव योगी)
पुत्र-श्री सुरेश चन्द्र.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर मनीष मालवीया (Manish Malviya) के स्थान पर मनीष शुक्ला (Manish Shukla) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मनीष शुक्ला (Manish Shukla) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा।

पुराना नाम :
(मनीष मालवीया)
(171-बी.)

नया नाम :
(मनीष शुक्ला)
फ्लेट नं. 204, 74, सिद्धार्थ नगर,
भंवरकुआ, जिला-इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियांजलि अग्रवाल (PRIYANJALY AGRAWAL) सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम कु. झनक अग्रवाल (JHANAK AGRAWAL) था। भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम कु. झनक अग्रवाल (JHANAK AGRAWAL) लिखा गया है। जो कि गलत है और वर्तमान में मैं, प्रियांजलि अग्रवाल (PRIYANJALY AGRAWAL) के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और प्रियांजलि अग्रवाल (PRIYANJALY AGRAWAL) के नाम से ही हस्ताक्षर करती हूँ प्रियांजलि अग्रवाल एवं कु. झनक अग्रवाल एक ही व्यक्ति है। अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम कु. झनक अग्रवाल के स्थान पर प्रियांजलि अग्रवाल लिखा एवं पढ़ा जाये।

पुराना नाम :
(कु. झनक अग्रवाल)
(172-बी.)

नया नाम :
(प्रियांजलि अग्रवाल)
पता-मधुवन इन्क्लेव, सिटी सेन्टर,
ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक प्रपत्र, सभी शासकीय, अर्द्ध-शासकीय प्रपत्र जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, वोटरकार्ड, इत्यादि में मेरा नाम विजय शंकर/विजय शंकरगाये/विजय शंकरगाये अंकित है। उक्त तीनों ही नाम मेरे हैं। जो कि बदलकर अब मेरा नाम विजय शर्मा पुत्र स्व. श्री सुभाष शंकरगाये हो गया है, भविष्य में भी मुझे विजय शर्मा पुत्र स्व. श्री सुभाष शंकरगाये के नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये।

पुराना नाम :
(विजय शंकर/विजय शंकरगाये/विजय शंकरगाये)

नया नाम :
(विजय शर्मा)
निवासी-जी-16, वर्धमान ग्रीन पार्क, अशोका गार्डन,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(176-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि "मेसर्स सफायर अवेन्यू" दिनांक 17-11-2016 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/0012/17 वर्ष 2017-18 के रूप में कार्य कर रही है, जिसका संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 17-01-2019 से इस प्रकार है।

श्रीमती पलक अग्रवाल पत्नी श्री जयदीप अग्रवाल और श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं। फर्म का नया पंजीकृत पता 4, गीता कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर-474009 (म.प्र.) है। हर आम आदमी को सूचित हो।

For-SAPPHIRE AVENUE,

अरविंद अग्रवाल,

(166-बी.)

4, गीता कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर-(म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firm "M/S HOTEL SAYA INN" of Gwalior vide Reg. no. 02/42/01/0275/18, Year 2017-18, Date of Registration-08/01/2018, has undergone the changes in its constitution of firm.

Shri Rahul Rana S/o Shri Surendra Pal Singh, address M-320, Darpan Colony, Thatipur Morar, Gwalior has been Retired as a partner of aforesaid firm w.e.f 10-04-2019 and Shri Rahul Jain S/o Shri Kamlesh Jain, Address Flat No.510, Orchid Green Near New Collectorate, Ohadpur, Gwalior has been admitted as new partner in the aforesaid firm w.e.f. 10-04-2019 So, Now total two partner will continue the business named 1.Vinesh kumar Dhingra, 2. Rahul Jain with profit and loss percentage of 80% & 20% respectively.

For—Hotel Saya Inn.

VINESH KUMAR DHINGRA,

(Partner)

98, 99, 106 Kailash Vihar,

City Centre, Gwalior.

(167-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ढोलखेड़ी आटो सर्विस फर्म एवं सोसाइटी कार्यालय में पंजीयन क्रमांक F/142/02, दिनांक 03-01-2003 को पंजीकृत की गई थी। उक्त फर्म से दिनांक 31-03-2019 को श्रीमति अनिता वोहरे स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गयी है, अब फर्म में श्री बृजेश कुमार शर्मा प्रोपाईटर के रूप में फर्म को आगे चलाएंगे। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो 7 दिवस के अंदर देने की कृपा करें

मे. ढोलखेड़ी आटो सर्विस,

बृजेश कुमार शर्मा,

(प्रोपाईटर)

(170-बी.)

ढोलखेड़ी पेट्रोल पंप, विदिशा (म.प्र.).

जाहिर सूचना

मेसर्स सोहम एक्विजम जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 28-04-2014 एवं क्रं. 01/01/01/00040/2014 एवं जिसका पता-17, झोन-2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म से दिनांक 23-01-2019 निम्नानुसार दो पार्टनर सेवानिवृत्त हुए हैं इसके पश्चात् अब इनका इस फर्म से कोई भी लेन-देन शेष नहीं है। (1) ओमप्रकाश मूलचंद कृपलानी पुत्र श्री मूलचंद मंगूराम कृपलानी, पता-ई-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.), (2) प्रीतपाल सिंह बिन्द्रा पुत्र श्री दिलीप सिंह बिन्द्रा, पता-ई1/165, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश एवं फर्म का नया पंजीकृत पता निम्नानुसार है। ईडी-199, स्कीम नं. 94, ईस्टर्न रिंग रोड, इन्दौर (म.प्र.) अतः सर्व-साधारण सूचित हो।

मेसर्स सोहम एक्विजम,

दिलीप सुराना,

(भागीदार)

ईडी-199, स्कीम नं. 94, ईस्टर्न रिंग रोड,

इन्दौर (म.प्र.).

(174-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म-मैसर्स एस आर ट्रेडर्स जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन क्र. 01/01/01/00172/14 सन् 2014-15, दिनांक 11-07-2014 है। जिसका कार्यालय ई-7, एम. 708 अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) का संचालन तीन साझेदारों क्रमशः

(1) श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री मेघराज सिंह शेखावत, निवासी-सी 28, हनुमान नगर, खातीपुर, जयपुर (राज.), (2) श्रीमती रत्ना जादौन पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी-ई-7 एम, 708, अरेरा कॉलोनी, भोपाल एवं (3) श्री मेघराज सिंह शेखावत आत्मज एवं श्री कल्याण सिंह, निवासी सी-28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर (राज.) द्वारा संचालित किया जा रहा था जिसमें से एक पार्टनर श्रीमती रत्ना जादौन पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन ने अपने स्वेच्छा से फर्म से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 01-04-2019 को प्राप्त कर पृथक् हो चुकी है और इनका इस से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है और 01-04-2019 को ही नये पार्टनर के तौर पर श्री यशराज जादौन आ. श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी ई-7, एम, 708 अरेरा कॉलोनी, भोपाल नये साझेदार के तौर पर सम्मिलित हो चुके हैं. उपरोक्त फर्म मेसर्स एस. आर. ट्रेडर्स के नये साझेदार के तौर पर श्री यशराज जादौन, श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन होंगे.

मेसर्स एस. आर. ट्रेडर्स,

मेघराज जादौन,

(भागीदार)

ई-7, एम, 708 अरेरा कॉलोनी,

भोपाल (म.प्र.).

(175-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को एतद् सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मेसर्स अक्षित ऑटो एजेंसीज के सभी भागीदार यथा-

1. अंशुल गोयल आत्मज-स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन.
2. अक्षित गोयल आत्मज-स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन.
3. श्रीमति सरिता जैन पत्नी-स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन.
4. श्रीमति शिल्पा गोयल पत्नी-श्री अंशुल गोयल

ने सर्व-सम्मति से श्रीमति प्रगति गोयल को दिनांक 01-04-2012 से फर्म की भागीदार के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है.

अतः दिनांक 01-04-2012 से हमारी यह फर्म अपने मूल नाम पर ही अपनी समस्त सम्पत्तियों व दायित्वों के साथ उपरोक्त पांचो भागीदारों द्वारा अपना व्यवसाय जारी है.

सर्व-साधारण को सूचनार्थ है.

For-M/S Akshit Auto Agencies,

अंशुल गोयल,

(Partner).

(177-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला खरगोन

रा.प्र.क्र.01/बी-113(1)/2019-20.

प्रो.क्रं./19-20.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक लोक न्यास.

चूँकि न्यासकर्ता, "सनातन हितकारिणी न्यास", पता- ग्राम भातुड, पोस्ट बन्देहर, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल संपत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के

अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	
01	चल संपत्ति	निरंक	निरंक	-
02	अचल संपत्ति	निरंक	निरंक	-

(336)

अभिषेक गेहलोत,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर-मालवा

रा.प्र.क्र.02/बी-113/2018-19.

आगर, दिनांक 05 अप्रैल, 2019

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(2) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक आगर, जिला आगर-मालवा के समक्ष.

आवेदक श्री कैलाशचन्द्र पिता भेरूलाल भण्डारी, अध्यक्ष श्री जैन श्वेताम्बर आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में श्री जैन ओसवाल भवन ट्रस्ट आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 06 मई, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	श्री जैन ओसवाल भवन ट्रस्ट आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
चल सम्पत्ति	:	अनुमानित मूल्य रुपये 2,85,584=85 नगदी (अक्षरी रूपये दो लाख पिच्चासी हजार पांच सौ चौरासी पैसे पिच्चासी मात्र).

(337)

महेन्द्रसिंह कवचे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 03 मई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/442—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/195,

दिनांक 20 फरवरी, 2019 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	तवा आदिवासी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., लोनिया.	1177/12-06-1987	घोडाडोगरी
2.	कृष्णा तरबूज-खरबूज फल-उत्पा. सह. संस्था. मर्या., रानीपुर	1829/30-12-2015	घोडाडोगरी

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, बसंत मगरदे, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (1) सी /ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवे अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

बसंत मगरदे,
परिसमापक.

(338)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 03 मई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/443—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/195, दिनांक 20 फरवरी, 2019 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	श्रीराम जैविक खाद बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., वायगांव.	1816/25-08-2015	प्रभातपट्टन
2.	ताप्ती जैविक खाद बीज उत्पा. सह. संस्था. मर्या., हिवरखेड	1821/11-09-2015	प्रभातपट्टन

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, सी. एल. डोंगरे, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी /ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवे अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

सी. एल. डोंगरे,
परिसमापक.

(339)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2019-ज्येष्ठ 3, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य के जिला भिण्ड में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.-

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.04 मि.मी. तक:- तहसील अटेर, भिण्ड, मेहगांव, लहार, रौन, मिहोना (भिण्ड) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया है.

2. **जुताई** :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, दतिया, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिन्डौरी, बालाघाट व सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी**:- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, देवास, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिन्डौरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **फसल स्थिति** :-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **कटाई** :- जिला सिवनी में तुअर की कटाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. **सिंचाई** :-जिला सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, विदिशा, सीहोर, बड़वानी, भोपाल, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति**:-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ	1.5 2.0 . . 1.0 1.0 2.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों समान. चना, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		धनियाबीज समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. *जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. *जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
6. देवेन्द्रनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, बटरी अधिक. तुअर, चना, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान. गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोटर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, ज्वार, अलसी, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकचुलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. जयसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, मटर, अधिक. अलसी, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) अलसी समान. शेष फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) . .		
3. चंदिआ	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी, चना, मसूर, जौ, समान हैं. राई-सरसों, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	..		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	..		(2) . .		
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		राई-सरसों कम.		
3. मल्हारगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर+दलोदा	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4. (1) गेहूँ, सरसों, मटर, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			अधिक. तुअर, चना,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..			मसूर, कम.		
4. जीरन	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4. (1) गेहूँ, चना, राबा कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..			गेहूँ, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर	..			(2) ..		
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..			4. (1) तुअर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..			(2) ..		
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) तुअर अधिक. कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. रामा	. .				
5. झाबुआ	. .				
6. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. गौतमपुरा	. .				
5. हातोद	. .				
6. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) कपास, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) चना समान है. गेहूँ सुधरी	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		हुई हैं.		
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. शमसाबाद	. .				
9. त्यौंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		तिवडा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		तुअर समान. गन्ना, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .		अलसी, मटर, जौ कम.		
4. नसरूल्लागंज	. .		(2) तुअर समान. उपरोक्त फसलें		
5. रेहटी	. .		सुधरी हुई हैं.		
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) तुअर अधिक. गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान है.		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर सुधरी हुई हैं.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराधवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
47. *जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है. तुअर की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

*जिला:- जिला टीकमगढ़, सिंगरौली, आगर, बैतूल व मण्डला से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.